

[2023] 5 S.C.R. 589

रामिसेट्टी वेंकटन्ना & अन्य

बनाम.

नस्यम जमाल साहेब & अन्य

(सिविल अपील नं. 2717 of 2023)

अप्रैल 28, 2023

[एम. आर. शाह और सी. टी. रविकुमार, न्यायमूर्तिगण]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - ऑर्डर VII नियम XI (a) और (d) - वादपत्र की अस्वीकृति - प्रतिवादी-वादी ने 2014 में ट्रायल कोर्ट में नामकी घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा और विभिन्न दस्तावेजों का रद्द करने के लिए मुकदमादाखिल किया था - एपीलेंट-प्रतिवादी ने तय किया कि वादी का मुकदमा 11.03.1953 को विभाजन पत्र में त्रुटि पर - और बाद के लेन-देन पर- आधारित था - एपीलेंट-प्रतिवादी ने O. VII r. XI के तहत अभियोगको - वादपत्र की अस्वीकृति - एक आवेदन दाखिल किया - ट्रायल कोर्ट ने उस आवेदन को खारिज कर दिया - एपीलेंट ने हाई कोर्ट में पुनरावलोकन आवेदन दाखिल किया, जिसे भी खारिज कर दिया गया - अपील पर, निर्णय: चतुर प्रारूपणके द्वारा और विभाजन पत्र से संबंधित कोई भी राहत न माँगते हुए, वादी ने सीमा अधिनियम की प्रावधान को दरकिनार करने का प्रयास किया है और मुकदमाको बनाए रखने का प्रयास किया है जो कुछ और नहीं है सिवाय कोर्ट और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग - अगर विभाजन पत्र को चुनौती दी जाती तो, जैसा कि वादी वास्तव में करने का प्रयास कर रहे हैं, मुकदमासीमा द्वारा प्रतिबंधित होती, विभाजन पत्र से 61 वर्षों बाद संस्थापित किया गया होता - अभियोगको वेक्सेशियस, मायावी कारण क्रियावली और सीमा द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण अस्वीकृति कर देना चाहिए था - हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के निर्णय को अस्वीकार किया गया।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए

अधिनिर्णय : 1. यह प्रतीत होता है कि मुकदमा पूरी तरह 11.03.1953 को दिनांकित विभाजन पत्र में एक त्रुटि पर आधारित है और विभाजन पत्र सर्वेक्षण संख्या 706/A9 में गलती से उल्लेख किया गया था। इसलिए, वादी की तरफ से यह मामला था कि एक 'S' (मूल भूमि स्वामी का बेटा) और अपीलकर्ता के विक्रेताओं सहित अन्य वंशजों का कभी कोई अधिकार नहीं

था कि वे सर्वेक्षण संख्या 706/A9 की भूमि के संबंध में लेन-देन कर सकें। जानबूझकर , वादी ने 11.03.1953 को दिनांकित विभाजन पत्र के संबंध में कोई राहत नहीं मांगी है हालांकि यह वादी की तरफ से मामला है कि 11.03.1953 को दिनांकित विभाजन पत्र में एक त्रुटि थी। ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि 11.03.1953 को दिनांकित विभाजन पत्र के अनुसार, मूल भूमि स्वामी की मृत्यु के बाद, उसके पाँच बच्चों ने 11.03.1953 को दिनांकित एक पंजीकृत विभाजन पत्र के तहत संपत्तियों का विभाजन किया। 2010 से, अपीलकर्ता 24.08.2010 को दिनांकित पंजीकृत बिक्री पत्र के माध्यम से खरीदी गई भूमि के कब्जे में हैं। अगर 11.03.1953 को दिनांकित विभाजन पत्र को चुनौती दी जाती, जो कि प्रतीत होता है, वादी वास्तव में करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुकदमाको निराशाजनक रूप से सीमा समय से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, क्योंकि इसे विभाजन पत्र से 61 वर्षों के बाद संस्थापित किया गया है। [अनुच्छेद 5]

2. इस कोर्ट द्वारा विभिन्न निर्णयों में निर्धारित कानून को केस के तथ्यों पर लागू करते हुए, इस कोर्ट का मत है कि अभियोगको सीमा समय, भ्रमात्मक कारण क्रियावली और धारा VII नियम XI(a) और (d) के तहत अधिकार प्रयोग करते हुए खारिज कर देना चाहिए था। धारा 11.03.1953 को दिनांकित विभाजन पत्र के संबंध में कोई राहत न मांगकर और चतुर प्रारूपणकरके, वादी ने सीमा समय अधिनियम की प्रावधानों को दक्षता से टालने का प्रयास किया है और कोर्ट और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए मुकदमाको बनाए रखने का प्रयास किया है। [अनुच्छेद 6]

. *अरिवंदानंदम बनाम T.V. सत्यपाल* (1977) 4 SCC 467: [1978] 1 SCR 742; *सोपन सुखदेव साबले बनाम चैरिटी कमीशनर* (2004) 3 SCC 137: [2004] 1 SCR 1004; *मदनुरी श्री राम चंद्र मुर्ति बनाम सैयद जलाल* (2017) 13 SCC 174: [2017] 5 SCR 294; *राम सिंह बनाम ग्राम पंचायत मेहल कलान*, (1986) 4 SCC 364: [1986] 3 SCR 831 - निर्भर की गई।

राज नरैन सारिन बनाम लक्ष्मी देवी और अन्य (2002) 10 SCC 501; *पैलेस्टाइन कुपत अम बैंक को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड बनाम पैलेस्टाइन सरकार और अन्य* AIR (35) 1948 *प्राइवी कौंसिल* 207; *सुभगा और अन्य बनाम शोभा और अन्य* (2006) 5 SCC 466; *नुसली नेविल वाडिया बनाम आयवरी प्रॉपर्टीज और अन्य* (2020) 6 SCC 557: [2019] 15 SCR 795 - संदर्भित की गई।

मामला कानून संदर्भ

[1978] 1 SCR 742	अनुच्छेद3.4	पर निर्भर किया गया
(2002) 10 SCC 501	अनुच्छेद3.8	को संदर्भित किया गया
(2006) 5 SCC 466	अनुच्छेद4.3	को संदर्भित किया गया
[2019] 15 SCR 795	अनुच्छेद4.4	को संदर्भित किया गया
[2004] 1 SCR 1004	अनुच्छेद5.2	पर निर्भर किया गया
[2017] 5 SCR 294	अनुच्छेद5.3	पर निर्भर किया गया
[1986] 3 SCR 831	अनुच्छेद5.4	पर निर्भर किया गया

सिविल अपील न्यायिक क्षेत्र: सिविल अपील नं. 2717 का 2023

03.03.2022 को आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय, अमरावती में CRP नं. 179/ 2021 में निर्णय और आदेश से।

अनंद संजय M नूली, अगम शर्मा, धर्म सिंह, सूरज कौशिक, नंदा कुमार K B, मिस अखिला वली, शिव स्वरूप, मिस. नूली और नूली, अपीलदार के लिए एडवोकेट्स।

बी आदिनारायण राव, वरिष्ठ एडवोकेट, मिस ततिनी बसु, कुमार शशांक, भरत जे जोशी, मिस श्रेष्ठा रगसंदेश, प्रतिवादियों के लिए एडवोकेट्स।

न्यायालय का निर्णय दिया गया था।

एम. आर. शाह, न्यायमूर्ति

1. आंध्र प्रदेश के अमरावती में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आपत्तिजनक निर्णय और आदेश से असंतुष्ट और आहत महसूस करते हुए, जिसमें संशोधन याचिका (CRP) क्रम. 179/2021 को खारिज कर दिया गया है, जिससे उच्च न्यायालय ने कहा संशोधन याचिका को खारिज कर दिया है और नीचली न्यायालय द्वारा यहाँ के अपीलदार - मौलिक प्रतिवादी संख्या 9 & 10 द्वारा प्रस्तुत आवेदन को खारिज/त्याग देने का आदेश स्वीकार कर लिया है, जिसके तहत CPC के आदेश VII नियम XI के तहत, मौलिक प्रतिवादी संख्या 9 & 10 ने वर्तमान अपील किया है।

2. संक्षेप में वर्तमान अपील की अगुआई करने वाले तथ्य नीचे हैं: -

2.1 एक नस्यम जमाल साहब आंध्र प्रदेश, कुरनूल जिला, नंद्याल टाउन और मंडल के सर्वेक्षण संख्या 700/A7B और सर्वेक्षण संख्या 706/A9 में 4 एकड़ 16 सेंट भूमि के मालिक थे, और कई अन्य संपत्तियाँ भी थीं। नस्यम जमाल साहब की मृत्यु के बाद, उनके पांच बच्चे नामक, 1) नस्यम जाफर साहब; 2) नस्यम दस्तहगिरी साहब; 3) नस्यम इब्राहीम साहब; 4) सरमबी; और 5) जैनबी ने उनके पिता की संपत्तियों (4 एकड़ 16 सेंट सहित) का विभाजन 11.03.1953 की दिनांक को एक पंजीकृत विभाजन पत्र के तहत किया। पुराने मुद्दे के प्रतिवादी नइब्राहीम साहब को 1 एकड़ और अपीलदार के विक्रेताओं के हित में पूर्वज सराम्बी को 1 एकड़ 16 सेंट मिले। उसके बाद, सराम्बी, सर्वेक्षण संख्या 706/A9 में 1 एकड़ 16 सेंट की सम्पूर्ण मालिक होने के नाते, ने 24.01.1968 को अपनी सबसे बड़ी बेटी करीमबी (अपीलदार के विक्रेताओं की माँ) के पक्ष में 58 सेंट की भूमि माप के एक पंजीकृत दान पत्र का क्रियान्वयन किया। उसके बाद, सराम्बी ने 24.01.1968 को एक और उपहार के जरिए सर्वेक्षण संख्या 706/A9 में शेष 58 सेंट को अपनी दूसरी बेटी आशाबी और उसके दो बेटों खासिमसा और अब्दुल रजाक को दान में दे दिया। इसके बाद, 2003 में, आशाबी के तीन बेटों ने 58 सेंट की भूमि का पुनः विभाजन किया। प्रत्येक बेटों को प्रत्येक 19.33 सेंट भूमि मिली। उसी प्रकार, करीमबी की मृत्यु के बाद, उनके तीन बेटों ने आपस में मौखिक विभाजन किया। करीमबी के दो बेटे - खतीफ खजा हुसैन और खतीफ नूर अहम्मद ने 706/A9 सर्वेक्षण संख्या में 58 सेंट की भूमि को 24.08.2010 की दिनांक को दो पंजीकृत विक्रय पत्रों के माध्यम से, ₹14,52,000/- और ₹13,56,000/- की मान्य विक्रय मूलधन के लिए, अपीलदार के पक्ष में बेच दिया। कहीं गई भूमि का कब्जा अपीलदार को सौंप दिया गया था और उन्होंने भूमि का विकास किया।

2.2 प्रतीत होता है कि उसके बाद, खतीस खादर बाशा (करीमबी का तीसरा बेटा) के बच्चों ने करीमबी के अन्य दो बेटों और अपीलदार के खिलाफ O.S. नं. 39/2011 तीसरे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, कुरनूल, नंद्याल में दायर किया, अपीलदार को बेची गई संपत्ति में उनके हिस्से का विभाजन और पृथक कब्जा पाने का दावा करते हुए। उक्त मुकदमा लोक अदालत को हवाला किया गया और उसे हल कर लिया गया, जब अपीलदार ने वहाँ के प्रतिवादियों को ₹14,00,000/- चुका दिए।

2.3 प्रतीत होता है कि उसके बाद, 2013 में नंद्याल नगरपालिका ने एक 80 फीट चौड़ी मास्टर प्लान रोड बिछाने का प्रयास किया, एक 30 फीट की सड़क को 80 फीट तक चौड़ा करने का प्रस्ताव दिया। उक्त सड़क चौड़ाई कार्यक्रम में, अपीलदार की ज़मीन 3.5 सेंट तक प्रभावित हुई। अपीलदारों ने नंद्याल नगरपालिका के पक्ष में 3.5 सेंट ज़मीन के लिए दस्तावेज़ संख्या 2474/2013 के माध्यम से एक पंजीकृत दान पत्र बनाया। नगरपालिका ने उसके बाद,

अपीलदार को 283.24 वर्ग मीटर की एकस्तर से स्थानांतरणीय विकास अधिकार प्रदान किया। उसके बाद, 2014 में, यहाँ के प्रतिवादी संख्या 1 से 8 - मूल प्रतिवादियों ने O.S. नं. 35/2014 दायर किया और निम्नलिखित उपायों के लिए प्रार्थना की: -

(a) अभियोग में उल्लेखित सीमाओं के भीतर मौके की संपत्ति के प्रति प्रतिवादियों का नाम घोषित करने के लिए जो सर्वेक्षण सं.700/A7B और 706/A9, अब्दुल्ला खान ठोटा नंद्याल नगरपालिका सीमा में है, और नतीजतन स्थायी निषेधाज्ञा के लिए जिससे प्रतिवादियों को उनके लोग, एजेंट, उत्तराधिकारी और उनकी ओर से किसी भी तरह से मौके की संपत्ति में अतिक्रमण और कब्जा करने से रोका जाए।

(b) रद्द करने के राहत के लिए मुकदमा 1)दस्तावेज़ सं. 124/2008 दिनांक 09.01.2008 को D3 से D6 द्वारा D7 के पक्ष में बनाया गया पंजीकृत बिक्री पत्र, 2)दस्तावेज़ सं.3504/2009 दिनांक 18.07.2009 को D3 से D6 द्वारा D8 के पक्ष में बनाया गया पंजीकृत बिक्री पत्र, 3)दस्तावेज़ सं.4624/2009 दिनांक 31.03.2009 को D3 से D6 के बीच C शेड्यूल आइटम सं.2 और D शेड्यूल आइटम सं.2 के संबंध में बनाया गया पंजीकृत विभाजन विलेख 3)दस्तावेज़ सं.6591/2010 दिनांक 24.08.2010 को D1 और D2 द्वारा D9 के पक्ष में बनाया गया पंजीकृत बिक्री पत्र, 4)दस्तावेज़ सं.6592/2010 दिनांक 24.08.2010 को D1 और D2 द्वारा D10 के पक्ष में बनाया गया पंजीकृत बिक्री पत्र, उन्हें मौके की संपत्ति के संबंध में रद्द और अमान्य घोषित करके रद्द करने के लिए।

2.4 प्रतिवादियों ने O.S. No. 35/2014 में I.A. No. 369/2014 दायर किया, जिसमें C.P.C के आर्डर VII रूल XI(a) और (d) के अंतर्गत शक्तियाँ प्रयोग करके अभियोगको खारिज करने की प्रार्थना की गई थी। प्रयुक्त ट्रायल कोर्ट ने दिनांक 11.03.2020 को उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।

2.5 प्रयुक्त निचली अदालत द्वारा आदेश VII रूल XI के तहत आवेदन को खारिज करने और अभियोगको खारिज करने से इनकार करने के आदेश से असंतुष्ट और आहत महसूस करते हुए, प्रतिवादियों ने - मूल प्रतिवादी संख्या 9 और 10 ने उच्च न्यायालय में संशोधन आवेदन दायर किया। उच्च न्यायालय ने उक्त संशोधन आवेदन को खारिज कर दिया जिससे वर्तमान अपील उत्पन्न हुई है।

3. प्रतिवादियों की ओर से वकील श्री आनंद नुली ने जोरूर से यह तथ्य साझा किया है सी. पी. सी. के आदेश VII रूल XI के अंतर्गत आवेदन को स्वीकार न करने में भयानक त्रुटि की है और इस परिणामस्वरूप, अभियोगको खारिज नहीं किया है।

3.1 इसे साझा किया गया है कि ऐसा सराम्बी होने पर यह मुकदमा स्पष्ट रूप से सीमा समय से प्रतिबंधित था और इसलिए, अभियोगको सी. पी. सी. के आदेश VII रूल XI(d) के तहत खारिज कर दिया जाना चाहिए था।

3.2 इसे आगे भी साझा किया गया है कि उच्च न्यायालय ने यह बात सही से मूल्यांकन नहीं की है कि वास्तव में, मुकदमा सीमा समय से प्रतिबंधित था क्योंकि वही 11.03.1953 को विभाजन पत्र के क्रियान्वयन के 61 वर्षों बाद दाखिल किया गया था।

3.3 यह आगे सादर प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने विचार करने में विफल रहा है कि प्रधान मुद्दा यह है कि वादी का मुकदमा मुख्य रूप से इस बात पर आधारित है कि 11.03.1953 को डेट की गई पार्टीशन डीड में त्रुटि थी, और इसलिए, सराम्बी और उनकी संतानें, जिसमें अपीलंट्स के वेंडर्स भी शामिल हैं, कभी भी सर्वेक्षण संख्या 706/A9 में संबंधित भूमि के प्रति लेनदेन करने का कोई अधिकार नहीं था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने यह बात उचित रूप से मूल्यांकन नहीं की है कि वादी ने अभियोगको चतुराई से तैयार किया है और 11.03.1953 को डेट की गई पार्टीशन डीड की शोधना के लिए राहत मांगने से जानबूझकर रूखा है, ताकि वे सीमा समय कानून को टाल सकें। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसा करके वादी ने मुकदमे को सीमा समय कानून के दायरे में लाने का प्रयास किया है, जो वरना सीमा समय द्वारा प्रतिबंधित है।

3.4 इस न्यायालय में T. अरिवांदन्दम बनाम T.V. सत्यपाल (1977) 4 SCC 467 के मामले पर भरोसा करते हुए, प्रार्थना की जाती है कि चूंकि अभियोगउत्तेजक और निराधार है और एक कारण क्रियावली का भ्रम उत्पन्न करता है चतुर ड्राफ्टिंग के द्वारा, उसे जल्दी ही खारिज कर देना चाहिए।

3.5 प्रस्तुत किया जाता है कि अगर 11.03.1953 को तारीख दी गई पार्टीशन डीड को चुनौती दी जानी थी, जिसका प्रयास वादी वास्तव में कर रहे हैं, तो मुकदमा उम्मीद से बाहर होता, पार्टीशन डीड के 61 वर्षों बाद आयोजित होने के कारण।

3.6 प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में वादी के पास मुकदमा दायर करने का कोई कारण क्रियावली नहीं था। प्रस्तुत किया जाता है कि सभी पंजीकृत बिक्री डीड और पार्टीशन डीड, जिन्हें मुकदमे का कारण क्रियावली बनाने का आरोप लगाया गया है, उन्होंने उनके प्रत्येक पक्षों के अनुसार 11.03.1953 को तारीख दी गई पार्टीशन डीड के तहत उन्हें/उनके कानूनी पूर्वजों को प्रदान की गई अधिकारों के अनुसार किया गया है।

3.7 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय को समझना चाहिए था और/या मानना चाहिए था कि वर्तमान मुकदमा हल्का और उत्तेजक है क्योंकि वादी पुनः-विभाजन की कोशिश कर रहे हैं; और नाना-नानी द्वारा उनकी स्वतंत्र इच्छा से किया गया 11.03.1953 को दिनांकित पार्टिशन डीड में त्रुटि थी, ऐसा तर्क करके कई परिवार के सदस्यों और तीसरे पक्षों जैसे कि यहाँ प्रेरित करने वालों का नाम और कब्जा अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, जब पक्ष तक पैदा नहीं हुए थे।

3.8 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और **राज नारायण सरीन बनाम लक्ष्मी देवी और अन्य (2002) 10 SCC 501 और T. अरिवांदन्दम** (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर आधारित होते हुए, प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील को स्वीकार करें और विद्यमान सिंगल जज के आदेश को रद्द कर दें और साथ ही उस ट्रायल कोर्ट के आदेश को भी रद्द कर दें जिसने Order VII Rule XI के तहत आवेदन को खारिज कर दिया और नतीजतन, सीमा समय से प्रतिबंधित होने और मुकदमा उत्तेजक और मायावी कारण क्रियावली होने के कारण अभियोगको खारिज कर दें।

4. वर्तमान अपील का श्री B. आदिनारायण राव द्वारा कट्टरता से विरोध किया जा रहा है, वे मूल प्रलेखकों की ओर से उत्थान कर रहे हैं।

4.1 वाणिज्यिक वरिष्ठ अधिवक्ता ने गंभीरता से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्य और परिस्थितियों में न तो ट्रायल कोर्ट और न ही उच्च न्यायालय ने सी. पी. सी. के क्रम VII नियम XI के तहत आवेदन को खारिज करने में और अभियोगको न खारिज करने में कोई त्रुटि की है।

4.2 मूल प्रलेखकों की ओर से उत्थान करने वाले वाणिज्यिक वरिष्ठ अधिवक्ता ने कट्टरता से प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामले में न तो 11.03.1953 को दिनांकित विभाजन पत्र और न ही संपत्तियों की सीमाएँ विवादित हैं। इसे प्रस्तुत किया जाता है कि विवाद नस्यम इब्राहीम, सराम्बी और जैनबी के हिस्से के संबंध में वहाँ उल्लेखित गलत सर्वेक्षण संख्या तक सीमित है।

4.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि कानून की स्थापित स्थिति के अनुसार जो महत्वपूर्ण है वह सीमाएँ हैं, न कि डॉक्यूमेंट में उल्लेखित सर्वेक्षण संख्या। **द पैलेस्टाइन कुपत अम बैंक को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड बनाम गवर्नमेंट ऑफ पैलेस्टाइन और अन्य। AIR (35) 1948**

प्राइवी कौंसिल 207 (अनुच्छेद 7) के मामले में प्राइवी कौंसिल के निर्णय पर और **सुभगा और अन्य बनाम शोभा और अन्य। (2006) 5 SCC 466** के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित किया गया है कि यदि कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई भी विसंगति है तो सीमा प्रबल होनी चाहिए।

4.4 आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि जब क्रम VII नियम XI के तहत आवेदन पर विचार किया जाता है और अभियोगको खारिज करने के लिए प्रार्थना की जाती है, तो केवल अभियोगके बहने महत्वपूर्ण होते हैं और उन्हें ही ध्यान में लिया जा सकता है, और लिखित बयान में किए गए किसी भी प्रमाण या बहने को ध्यान में नहीं लिया जा सकता है। इस मामले में, इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया जाता है, जो कि **नुसली नेविल वादिया बनाम आइवरी प्रॉपर्टीज़ और अन्य। (2020) 6 SCC 557** में था।

4.5 उपरोक्त प्रस्तावनाएँ करते हुए यह प्रार्थित है कि वर्तमान अपील को खारिज कर दें।

5. हमने क्रमशः पक्षों की ओर से उपस्थित विद्याविद परामर्शदाताओं से विस्तार से बातचीत की है। हमने विवादनामे में की गई कथनाएँ भी देखीं हैं। कथनाओं को देखते हुए, यह प्रतीत होता है कि मुकदमा मूलतः उस पूर्वधारणा पर आधारित है कि 11.03.1953 को दिनांकित विभाजन पत्र में एक त्रुटि थी और विभाजन पत्र में सर्वेक्षण संख्या 706/A9 गलत ढंग से उल्लेख किया गया था। इसलिए, प्रतिवादियों की ओर से यह मामला है कि सराम्बी और अपीलकर्ताओं के विक्रेताओं सहित अन्य वंशजों को कभी भी सर्वेक्षण संख्या 706/A9 के संबंध में लेन-देन करने का कोई अधिकार नहीं था। हालाँकि, इसे ध्यान में रखना जरूरी है कि उपरोक्त के बावजूद, प्रतिवादियों ने बहुत चतुराई से 11.03.1953 को दिनांकित विभाजन पत्र के संबंध में कोई राहत नहीं मांगी है। जान-बूझकर और उद्देश्यपूर्ण रूप से, प्रतिवादियों ने 11.03.1953 को दिनांकित विभाजन पत्र के संबंध में कोई राहत नहीं प्रार्थित की है, हालांकि प्रतिवादियों की ओर से यह मामला है कि 11.03.1953 को दिनांकित विभाजन पत्र में एक त्रुटि थी। इसे ध्यान में रखना चाहिए कि 11.03.1953 को दिनांकित विभाजन पत्र के अनुसार, मौलिक भूमि स्वामी नस्यम जमाल साहेब की मृत्यु के बाद, उनके पाँच बच्चों में, 1) नस्यम जाफर साहेब; 2) नस्यम दस्तहगिरी साहेब; 3) नस्यम इब्राहीम साहेब; 4) सराम्बी; और 5) जैनबी ने 11.03.1953 को दिनांकित एक पंजीकृत विभाजन पत्र के तहत संपत्तियों का विभाजन किया था। पंजीकृत विभाजन पत्र के तहत, प्रतिवादियों के पूर्व में हित रखने वाले, एन. इब्राहीम साहेब को 1 एकड़ मिला और अपीलकर्ताओं के विक्रेताओं के पूर्व में हित रखने वाली सराम्बी को 1 एकड़ 16 सेंट मिले। पंजीकृत विभाजन पत्र के सभी पक्षों ने कहा विभाजन पत्र पर

अमल किया। उसके बाद, आगे का लेन-देन हुआ और सराम्बी ने अपनी सबसे बड़ी बेटी करीमबी - अपीलकर्ताओं के विक्रेताओं की माँ के पक्ष में 24.01.1968 को दिनांकित एक पंजीकृत दान पत्र किया, जिसमें 58 सेंट ज़मीन शामिल थी। उसके बाद, करीमबी के दो पुत्र जो करीमबी की मृत्यु पर सह-स्वामी बने, उन्होंने 24.08.2010 को दिनांकित एक पंजीकृत बिक्री पत्र किया, जिसमें सर्वेक्षण संख्या 706/A9 में 58 सेंट ज़मीन के एक वैध बिक्री विचार के लिए अपीलकर्ताओं के पक्ष में था। 2010 से, अपीलकर्ता 24.08.2010 को दिनांकित पंजीकृत बिक्री पत्र के माध्यम से खरीदी गई ज़मीन पर कब्जा कर रखे हैं। 11.03.1953 को दिनांकित विभाजन पत्र और उसके बाद के 24.01.1968 को दिनांकित दान पत्र को चुनौती देने के बिना, प्रतिवादी ने उपरोक्त प्रार्थनाएँ रखते हुए इस मुकदमे को दायर किया है जो कुछ भी नहीं है बल्कि सीमा समय से बाहर जाने के लिए एक चतुर प्रारूपण है। अगर 11.03.1953 को तारीख दी गई विभाजन पत्र को चुनौती दी जाती, जिसे वास्तव में प्रतिवादियों ने प्रयास किया है, तो मुकदमा उम्मीद से बाहर हो जाता क्योंकि वह विभाजन पत्र से 61 वर्षों बाद दाखिल किया गया था।

5.1 टी. अरिवंदनदम (उपरोक्त) मामले में पैराग्राफ 5 में, जब ऑर्डर VII रूल XI की प्रावधान को देखा जा रहा था, तो इस अदालत ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी की थी: -

"5. हमें पेटिशनर द्वारा बार-बार और निर्मम रूप से अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की निंदा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। उच्च न्यायालय के निर्णय में पाए गए तथ्यों के बयान से यह पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि अब पहले मुनसिफ़ की अदालत, बेंगलूर में लंबित मुकदमा, अभियोग को स्वीकार करने में कानून की कृपाओं का फ्लैगेंट मिस्युज है। विद्यालर्ण मुनसिफ़ को याद रखना चाहिए कि यदि अभियोगको एक अर्थपूर्ण – न कि प्रतिरूप – पठन पर यह स्पष्ट रूप से कष्टप्रद है, और एक स्पष्ट अधिकार को मुकदमा करने का उद्घाटन न करता है, तो उसे आदेश 7 नियम 11सीपीसी के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, और ध्यान देना चाहिए कि उसमें उल्लिखित कारण पूरा हो। और, यदि चतुर ड्राफ़्टिंग ने मुकदमा करने का कारण बनाया है, तो ऑर्डर 10 सीपीसी के अंतर्गत पक्ष की खोजबीन करके पहली सुनवाई में इसे उखाड़ देना चाहिए। एक सक्रिय जज ही बेजिम्मेदारी से कानूनी मुकदमों का उत्तर है।"

5.2 सोपन सुखदेव साबळे बनाम चैरिटी कमीशनर। (2004) 3 SCC 137 मामले में पैराग्राफ 11 और 12 में, इस अदालत ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी की और निष्कर्ष पर पहुंचाया है:

“11. आईटीसी लिमिटेड बनाम डेब्ट्स रिकवरी एपीलेट ट्रिब्यूनल [आईटीसी लिमिटेड व. डेब्ट्स रिकवरी एपीलेट ट्रिब्यूनल, (1998) 2 SCC 70] में निर्णयित किया गया था कि जब कोई आवेदन आदेश 7 नियम 11के तहत दायर किया जाता है, तो निर्णय करने वाला मौलिक प्रश्न यह है कि क्या अभियोगमें एक वास्तविक कारण क्रियावली सेट की गई है या किसी और बात को दर्शाने के लिए कुछ पूरी तरह से मायावी बताया गया है ताकि आदेश 7 नियम 11से बाहर जा सके। 12. परीक्षा न्यायालय को यह याद रखना चाहिए कि अगर अभियोगको एक अर्थपूर्ण और न कि प्रतिरूप पठन पर यह स्पष्ट रूप से कष्टप्रद और निराशाजनक है, इसका अर्थ है कि यह एक स्पष्ट अधिकार को मुकदमा करने का उद्घाटन नहीं करता, तो इसे आदेश 7 नियम 11के तहत शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, ध्यान रखते हुए कि उसमें उल्लिखित कारण पूरा हो। अगर चतुर ड्राफ्टिंग ने कारण क्रियावली का भ्रम बनाया है, तो इसे पहली सुनवाई में ऑर्डर 10 के तहत पक्ष की खोजबीन करके उखाड़ देना चाहिए। (देखें T. अरिवांदन्दम बनाम T.V. सत्यपाल [(1977) 4 SCC 467].)”

5.3 मदनुरि श्री रामचंद्र मूर्ति बनाम सैयद जलाल , (2017) 13 SCC 174 मामले में, इस अदालत ने निम्नलिखित प्रकार टिप्पणी की और निर्णय दिया है:

“7. अगर उस प्रावधान में उल्लेखित शर्तें पूरी होती हैं, तो आदेश 7 नियम 11के तहत अभियोगको खारिज किया जा सकता है। यह कहना व्यर्थ है कि अदालत मुकदमे के किसी भी चरण पर आदेश 7 नियम 11CPC के तहत शक्ति का प्रयोग कर सकती है। आवेदन का निर्णय करने के लिए देखे जाने वाले प्रासंगिक तथ्य केवल अभियोगके कथन हैं। अगर अभियोगको पूरा और अर्थपूर्ण पठन करके पाया जाता है कि मुकदमा स्पष्ट रूप से कष्टप्रद और निराशाजनक है, अर्थात् यह कोई अधिकार प्रदर्शित नहीं कर रहा है, तो अदालत को आदेश 7 नियम 11CPC के तहत शक्ति प्रयोग करनी चाहिए। चूंकि सिविल क्रियावली को प्रारंभिक स्तर पर समाप्त करने के लिए अदालत पर प्रदान की गई शक्ति द्रष्टिकोण है, आदेश 7 नियम 11CPC के तहत अभियोगके खारिज होने की शक्ति का प्रयोग करने के लिए उल्लेखित शर्तों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अभियोगके कथनों को पूरा करके पढ़ा जाना चाहिए ताकि पता चल सके कि क्या कथन कारण क्रियावली प्रदर्शित करते हैं या क्या मुकदमा किसी कानून से प्रतिबंधित है। यह कहना व्यर्थ है कि क्या मुकदमा किसी कानून से प्रतिबंधित है, यह हमेशा प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। लिखित बयान में कथनों के साथ ही प्रतिवादी की तर्कसंगतताएं भी पूरी तरह से तब्दील हो जाती हैं, जब प्रतिवादी की प्रार्थना को अभियोगको खारिज करने के लिए विचार किया जाता है। यहां तक कि जब अभियोगमें

की गई आरोपों को उनकी मुँहबोली मूल्य पर सही मान लिया जाता है, अगर वे यह दिखाते हैं कि मुकदमा किसी कानून से प्रतिबंधित है, या कारण क्रियावली प्रदर्शित नहीं करते हैं, तो अभियोगको खारिज करने के लिए आवेदन मनोरंजित किया जा सकता है और आदेश 7 नियम 11CPC के तहत शक्ति प्रयोग की जा सकती है। अगर अभियोगकी चतुर प्रारूपणने कारण क्रियावली का भ्रम उत्पन्न किया है, तो अदालत इसे सबसे पहले ही खत्म कर देगी ताकि जाली मुकदमेबाजी सबसे पहले चरण पर ही समाप्त हो जाए।

5.4 राम सिंह बनाम ग्राम पंचायत मेहल कलां, (1986) 4 SCC 364, मामले में, इस अदालत ने निरीक्षण किया और ठहराया कि जब मुकदमा किसी कानून द्वारा प्रतिबंधित है, तो वादी को चतुर प्रारूपण के माध्यम से उस प्रावधान को परिसरक्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है ताकि उन परिस्थितियों का उल्लेख टाल सके, जिनके द्वारा कानूनी सीमांकन के अधिकार के अनुसार मुकदमा प्रतिबंधित है। राज नारायण सरीन (उपरोक्त) मामले में भी इस अदालत ने समान दृष्टिकोण व्यक्त किया है।

6. उपरोक्त निर्णयों में इस अदालत द्वारा रखे गए कानून को लागू करते हुए, हम इस राय में हैं कि आदेश 7 नियम 11 (a) और (d) के तहत CPC की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियोगको खारिज कर देना चाहिए था, क्योंकि यह कारण क्रियावली और सीमांकन द्वारा प्रतिबंधित है। चतुर प्रारूपणऔर 11.03.1953 को डेट की गई विभाजन प्रमाणपत्र के संबंध में कोई राहत न मांगकर, वादी ने सीमांकन कानून की प्रावधान को परिसरक्त करने का प्रयास किया है और उन्होंने अदालत और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का प्रयास किया है।

7. अब, जितना प्रश्न उपरोक्त प्राइवेट काउंसिल के निर्णय और इस अदालत के **सुभागा** (उपरोक्त) मामले में दिए गए निर्णय पर रखे गए भरोसे का है, उस पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि उपरोक्त दोनों निर्णयों में रखी गई कानूनी प्रतिज्ञा के प्रति। हालांकि, प्रश्न यह है कि मुकदमा सीमांकन द्वारा प्रतिबंधित है और क्रियावली का भ्रमात्मक कारण है।

7.1 अब, जहाँ तक **नुसली नेविल वाडिया (उपरोक्त)** मामले में इस अदालत के निर्णय पर रखे गए भरोसे का प्रश्न है, तो फिर, इस अदालत द्वारा रखी गई कानूनी प्रतिज्ञा के प्रति कोई विवाद नहीं हो सकता है कि ऑर्डर VII रूल XI के तहत आवेदन निर्णयित करते समय, मुख्यतः अभियोगमें आरोप केवल ही विचार किए जाने चाहिए और लिखित बयान में आरोप

नहीं। हालाँकि, अभियोगमें आरोप को उन्हीं के रूप में विचार करते हुए, हम इस राय में हैं कि अभियोगको खारिज कर देना चाहिए था, क्योंकि यह एक स्पष्ट चतुर प्रारूपणका मामला है, और यह कारण क्रियावली और सीमांकन द्वारा प्रतिबंधित है।

8. उपरोक्त और बताए गए कारणों के मद्देनजर, उच्च अदालत और याचिका अदालत द्वारा पास किए गए आपत्तिजनक निर्णय और आदेश अस्थायी हैं और उन्हें रद्द और अलग कर दिया जाना चाहिए और वैसा ही किया जाता है। इस परिणामस्वरूप, ऐपेलेंट - मूल प्रतिवादी सं. 9 और 10 द्वारा अभियोग को खारिज करने के लिए आदेश 7 नियम 11 (a) और (d) के तहत CPC में शक्तियों का प्रयोग करके प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार किया जाता है और इस परिणामस्वरूप, सिविल मुकदमा(ओ.एस.) नं. 35/2014 का अभियोग खारिज कर दिया जाता है। वर्तमान अपील को इसी के अनुसार स्वीकार किया जाता है। कोई लागत नहीं।

अंकित ज्ञान

अपील स्वीकार किया जाता है।

(सहयोग द्वारा: अभिषेक अग्निहोत्री और आर्श चौधरी, LCRAs)

रीना पाण्डेय वकील द्वारा अनुवादित